

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 07/03/2018

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016 दिनांक 22.01.2018 द्वारा निम्नांकित आवंटियों को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये बजाज नगर अपार्टमेन्ट के अस्थाई आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद स्वामी, नर्स ग्रेड-11, मेडीकल ज्यूरिष्ठ विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4200/-	04	4/2016	31.11.2049	ए-11-9, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, मेल नर्स-द्वितीय, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर	4200/-	20	11/2016	-	सी-11-31, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	डॉ० कृष्ण कुमार शर्मा, सर्जरी विभाग, सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर	5400/-	29	17/2016	31.03.2041	ई-11-53, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	प्रवीण कुमार, सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आयोजना विभाग, योजना भवन, जयपुर	4800/-	31	18/2016	30.09.2045	एफ-11-69, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	श्रीमती रेखा, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर	4200/-	32	19/2016	31.07.2044	जी-11-81, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
6.	श्रीमती अन्जू वर्मा, तहसीलदार, उपपंजीयक तृतीय, उपपंजीयक-3, पंचायत समिति, झोटवाडा, जयपुर	4800/-	37	20/2016	30.06.2032	ए-11-7, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
7.	सुश्री अंजना कुमारी, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4200/-	53	23/2016	-	एफ-62, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
8.	श्रीमती सनिता यादव, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4200/-	54	24/2016	-	एफ-63, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
9.	डा० यशपाल सिंह जांगिड, तकनीकी सहायक, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर	5400/-	56	25/2016	30.06.2040	एफ-64, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

राज्यपाल की आज्ञा से

९०

(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विधुत वृत्त) जयपुर।
5. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 07/03/2018

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में विभाग के आदेश संख्या प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वरियातानुसार/पात्रतानुसार निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री लोकेश कुमार, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	03/2018	31.05.2047	ए-11-9, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्री भूपेन्द्र सिंह मीना, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	04/2018	31.10.2042	सी-28, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	श्री भरत लाल जाटव, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	05/2018	31.07.2047	सी-1-31, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	सुगनी देवी, नर्स ग्रेड-द्वितीय, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	06/2018	31.10.2047	डी-11-45, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	श्री लक्ष्मी नारायण मीना, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	07/2018	30.06.2044	ई-1-53, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
6.	अंजना शर्मा, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	08/2018	01.07.2044	एफ-11-69, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
7.	श्री महेन्द्र कुमार कुडी, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	10/2018	31.08.2047	जी-11-81, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
8.	श्री योगेश कुमार, नर्स ग्रेड-द्वितीय, (बीएमआरसी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	11/2018	31.08.2043	ए-1-7, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
9.	श्री नमो नारायण मीना, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	12/2018	31.01.2044	ए-1-18, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
10.	श्रीमती श्वेता चौधरी, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	14/2018	31.07.2047	एफ-62, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
11.	श्रीमती सुमन, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	4200/-	15/2018	31.05.2045	एफ-63, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
12.	सुरेश कुमार मीना, मेल नर्स-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	16/2018	31.05.2051	एफ-64, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
13.	दीपेश शर्मा, मेल नर्स-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	17/2018	31.07.2046	एच-1-89, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 3. सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र।
 4. गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।

- P.T.O. -

7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवंटित आवास का किराया प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को जमा कराना होगा।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

EO

(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विद्युत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.....
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, उप शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र वेबसाइट पर डालें।
15. रक्षित पत्रावली।

2.

उप शासन सचिव